न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील डिक्री/टीए/468/2004/टोंक

सुलतान खां पुत्र अलादीन खां जाति मुसलमान देशवाली निवासी कल्याणपुरा तहसील मालपुरा जिला टोंक

अपीलार्थी

बनाम

लक्ष्मीनारायण पुत्र चन्द्रा माली निवासी धानोता तहसील मालपुरा जिला टोंक

प्रत्यर्थी

खण्ड पीठ
श्री मोडूदान देथा, सदस्य
श्री पंकज नरूका, सदस्य

उपस्थितः श्री जी.एस.लखावत वकील अपीलार्थी
श्री ओकार लाल दवे वकील प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांकः.28.11.19

यह द्वितीय अपील धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) के अन्तर्गत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक द्वारा अपील संख्या 89/2000 में पारित निर्णय दिनांक 7.4.2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी प्रत्यर्थी ने एक वाद अधिनियम की धारा 188 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा के न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम धानोता स्थित आराजी खसरा नम्बर 340, 341, 406 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा भूमि वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है। प्रतिवादी अपीलार्थी जबरन बेदखल कर कब्जा करने पर उतारू है। अतः वाद डिक्री किया जावे। प्रतिवादी अपीलार्थी ने जबाबदावा प्रस्तुत कर वाद का खण्डन किया। विचारण न्यायालय ने दावे व जबाबदावे के आधार पर तनकियात कायम की एवं निर्णय दिनांक 1.5.2000 से वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री कर दिया। इससे असन्तुष्ट होकर प्रतिवादी अपीलार्थी ने भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक के न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने निर्णय दिनांक 7.4.2003 से अपील खारिज कर दी। इससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह द्वितीय

अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। अपील के साथ धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मयाद के बिन्दु पर बहस में कथन किया कि वकील ने प्रत्येक पेशी पर उपस्थित होने से मना कर रखा था एवं निर्णय होने पर सूचना देने का आश्वासन दे रखा था। जिससे प्रार्थी अपीलार्थी को निर्णय की समय पर जानकारी नहीं हो सकी। जानकारी दिनांक 30.12.2003 को टोंक आकर अभिभाषक से मिलने पर हुई तब नकल आदि प्राप्त कर जानकारी दिनांक से अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत की है। अतः देरी माफ की जावे।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने गुणावगुण पर अपनी बहस में तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालयों ने जमाबन्दी को आधार बनाकर निर्णय पारित किया है जबकि निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु कब्जा साबित किया जाना आवश्यक है। खसरा गिरदावरी सम्वत 2041 प्रस्तुत की है जिसमें कब्जे का अंकन नहीं होता है। प्रत्यर्थी का विक्रय पत्र अवैध एवं अपंजीकृत है जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ऐसे विक्रय पत्र के आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण निरस्त योग्य है। बेचान के समय वादी प्रत्यर्थी नाबालिग था तथा वास्तविक रूप से भूमि का बेचान नहीं किया गया है। फर्जकारी की गई है। विवादित भूमि पर कब्जा काश्त अपीलार्थी का है जिससे निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। अतः अपील स्वीकार की जावे। विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी ने अपनी बहस में तर्क दिया कि अपील जानबूझकर 9 माह देरी से पेश की गई है एवं देरी का समुचित कारण नहीं बताया गया है। प्रत्येक दिन की देरी का संतोषप्रद कारण बताया जाना आवश्यक है। जिससे देरी माफ नहीं की जा सकती एवं इसी आधार पर अपील खारिज की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक ने गुणावगुण पर अपनी बहस में तर्क दिया कि वादी प्रत्यर्थी विवादित आराजीयात का खातेदार काश्तकार होकर काबिज है। प्रतिवादी अपीलार्थी का विवादित आराजी से कोई संबंध नहीं है। बेचान को किसी सक्षम न्यायालय में चुनौति नहीं दी गई है। काबिज खातेदार काश्तकार के पक्ष में स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावेगी। अपीलार्थी ने विवादित आराजी पर स्वंय का कब्जा होना अथवा खातेदारी की होना किसी भी साक्ष्य से साबित नहीं कराया गया है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती हैं जिनमें द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। अतः यह अपील खारिज की जावे।

6. हमने दोनों पक्षो के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय दिनांक 7.4.2003 का है तथा यह अपील दिनांक 29.1.04 को प्रस्तुत की गई है जो लगभग 9 माह बाद पेश की गई है। धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में किये गये कथनों के समर्थन में अपीलार्थी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसके खण्डन में प्रत्यर्थी द्वारा कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके साथ ही प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना श्रेयष्कर होने से न्यायहित में अखण्डित शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ किया जाता है तथा अपील अन्दर अवधि शुमार की जाती है।

8. विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत2041 से 2044 प्रदर्श 1 में विवादित आराजीयात वादी प्रत्यर्थी लक्ष्मीनारायण के खातेदारी में दर्ज है। खसरा गिरदावरी सम्वत 2043 प्रदर्श 2 में भी वादी प्रत्यर्थी का नाम अंकित हैं। मौखिक साक्ष्यों में वादी के गवाहन ने वादी का एवं प्रतिवादी के गवाहों ने प्रतिवादी का कब्जा होना कथन किया है। परन्तु उपलब्ध राजस्व अभिलेख से विवादित आराजीयात वादी प्रत्यर्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की होना साबित होता है। धारा 140 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत जब तक अन्यथा साबित नहीं करा दिया जाता तब तक राजस्व अभिलेख के इन्द्राजों को ही सही माना जावेगा। वर्तमान प्रकरण में प्रतिवादी अपीलार्थी द्वारा ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे विवादित आराजीयात उनके खातेदारी की अथवा उनके कब्जे काश्त की होना साबित होता हो। ऐसी स्थिति में हम अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निर्णय में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हैं एवं यह अपील खारिज करना न्यायोचित समझते हैं।

9. अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार यह अपील खारिज की जाती है तथा भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक का निर्णय दिनांक 7.4.2003 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज नरूका)
सदस्य

(मोडूदान देथा)
सदस्य